प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक **22-06-2025** को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1-मारपीट कर गंभीर रुप से घायल करने के आरोपी को थाना मूंढापाण्डे पुलिस ने किया गिरफ्तार।

अवगत कराना है दिनांक 19-06-2025 को वादी सुरेश पुत्र नन्ने निवासी ग्राम मिलक कामरू थाना मूढांपाण्डे जनपद मुरादाबाद ने अभियुक्तगण द्वारा द्वारा वादी के पिता के सिर में लोहे की रोड से वार कर देने जिससे वादी के पिता गम्भीर रूप से घायल हो जाने व वेहोश होकर जमीन पर गिर जाने व वादी व वादी की मम्मी बचाने आये तो उनके साथ भी गाली गलौच व मारपीट करने के सम्बन्ध में थाना मूंढापाण्डे पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना मूंढापाण्डे पर मु0अ0सं0-250/2025 धारा-109(1)/115(2)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 22-06-2025 को थाना मूंढापाण्डे पुलिस द्वारा आरोपी गजराम सिंह पुत्र जयवीर सिंह निवासी ग्राम मिलक कामरू थाना मूढ़ापाण्डे जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया तथा आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त लोहे की रोड़ बरामद की गयी।

गिरफ्तार आरोपीः- गजराम सिंह पुत्र जयवीर सिंह निवासी ग्राम मिलक कामरू थाना मूढांपाण्डे जनपद मुरादाबाद

बरामदगीः- घटना में प्रयुक्त लोहे की रोड (टूल)

गिरफ्तार करने वाली टीमः-उ0नि0 नरेन्द्र पाल सिंह, उ0नि0 महेशचन्द्र गुप्ता, हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार व का0 भूपेन्द्र थाना मूढांपाण्डे जनपद

2- मारपीट व गाली गलौज करने के आरोपी को थाना मूंढापाण्डे पुलिस ने किया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 17-06-2025 को वादी धर्मराज पुत्र महिपाल निवासी ग्राम रौण्डा थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद ने अभियुक्त द्वारा वादी के साथ गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना मूंढापाण्डे पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना मूंढापाण्डे पर मु0अ0सं0-245/2025 धारा- 110/115(2)/352/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 22-06-2025 को थाना मूंढापाण्डे पुलिस द्वारा आरोपी मुकेश सैनी पुत्र जगराम सैनी निवासी ग्राम रौण्डा थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार आरोपीः- मुकेश सैनी पुत्र जगराम सैनी निवासी ग्राम रौण्डा थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीमः- उ0 नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार, हे0का0 इम्तियाज खान,हे0का0 अहमद अली

3-दहेज के लिए हत्या करने के आरोपी को थाना ठाकुरद्वारा पुलिस ने किया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 21-06-2025 को वादी महबूब शाह पुत्र शफी शाह निवासी गजरौला जयसिंह थाना डिलारी मुरादाबाद ने अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री को दहेज के लिए प्रताडित कर मारपीट करने व दहेज की मांग करने व मांग पूरी न होने पर वादी की पुत्री की गला दबाकर हत्या कर देने के सम्बन्ध थाना ठाकुरद्वारा पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना ठाकुरद्वारा पर मु0अ0सं0 247/2025 धारा-85/115(2)/80(2) बी0एन0एस0 व 3 /4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया । विवेचना के क्रम में आज दिनांक 22-06-2025 को थाना ठाकुरद्वारा पुलिस द्वारा आरोपी मौ0 जीशान पुत्र हनीफ निवासी ग्राम फरीदनगर थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार आरोपीः- मौ0 जीशान पुत्र हनीफ निवासी ग्राम फरीदनगर थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीमः- उ0नि0 मनीष कुमार, का0 मनीष, का0 राजू कुमार

4- जनपदीय पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने में 26 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपदीय **पुलिस द्वारा 26 व्यक्तियों** को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 में हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय भेजा गया।

थाना कटघर-04, थाना मझोला-01, थाना पाकबड़ा-01, थाना मूंढापाण्डे-02, थाना कांठ-02, थाना ठाकुरद्वारा-04, थाना भगतपुर- 01, थाना बिलारी-07 ,थाना सोनकपुर-01,थाना मैनाठेर-01, थाना कुन्दरकी-02